LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Wednesday, August 06, 2025 / Sravana 15, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 06, 2025 / Sravana 15, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

REFERENCE RE: 80th ANNIVERSARY OF DROPPING OF ATOMIC BOMBS ON HIROSHIMA AND NAGASAKI 1

ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 242) 1A – 30

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 243 – 260) 31 – 50

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2761 – 2990) 51 – 280

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Wednesday, August 6, 2025 / Sravana 15, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Wednesday, August 6, 2025 / Sravana 15, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION 281

PAPERS LAID ON THE TABLE 281 - 84

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT 284 - 85

7th to 10th Reports

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 1ST REPORT OF STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL – LAID 285

Shri Satish Chandra Dubey

MANIPUR BUDGET 285

… 286

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID 287 - 302

Dr. Jayanta Kumar Roy 287

Shri Vijay Kumar Dubey 288

Shri Ravindra Shukla *Alias* Ravi Kishan 288

Shri Dushyant Singh 289

Shrimati D. K. Aruna 289

Shri Parbhubhai Nagarbhai Vasava 290

Shrimati Malvika Devi 290

Shri Mitesh Patel (Bakabhai)	**291**
Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava	**291**
Shri Ashish Dubey	**292**
Shri Kali Charan Singh	**292**
Shri Dulu Mahato	**293**
Captain Brijesh Chowta	**293**
Shri Rajiv Pratap Rudy	**294**
Shri Balwant Baswant Wankhade	**294**
Shri Kishori Lal	**295**
Adv. Dean Kuriakose	**295**
Shri Rahul Kaswan	**296**
Shri Brijendra Singh Ola	**296**
Shri Virendra Singh	**297**
Shri Sanatan Pandey	**297**
Shrimati June Maliah	**298**
Shri Khalilur Rahaman	**298**
Shri Tamilselvan Thanga	**299**
Shri C. N. Annadurai	**300**
Shri G. Lakshminarayana	**300**
Dr. Alok Kumar Suman	**301**
Shri Maddila Gurumoorthy	**301**
Shri Raja Ram Singh	**302**
Shri Chandra Prakash Choudhary	**302**
….	**303 - 04**

MERCHANT SHIPPING BILL **305 - 16**

Motion for Consideration **305**

Shri Sarbananda Sonowal **305 & 308**

Captain Brijesh Chowta **306**

Shri Mukeshkumar Chandrakaant Dalal **307**

Motion for Consideration – Adopted **309**

Consideration of Clauses **309 - 15**

Motion to Pass **316**

xxxx

(1100/DPK/RP)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की 80वीं वर्षगांठ के विषय में उल्लेख

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से हुई त्रासदी के 80 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। दिनांक 6 एवं 9 अगस्त को इन दोनों शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिससे बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अनगिनत लोग घायल अथवा जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार विश्व को परमाणु बम के विनाशकारी दुष्प्रभावों से अवगत कराया था।

यह सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन तथा वैश्विक शांति और सौहार्द्र सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लेती है।

अब यह सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित लोगों की स्मृति में मौन रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति: शांति:।

… (व्यवधान)

(pp. 2-30)

(प्रश्न 242)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 242.

श्री नवीन जिंदल जी – उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया : माननीय अध्यक्ष जी, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अरुण गोविल जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, क्या आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

1102 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद, सुश्री सयानी घोष और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

श्री अरुण गोविल (मेरठ) : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत पीडीएस की डिजिटल पहल और पीडीएस को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? … (व्यवधान)

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं। मैं सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

1103 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/RTU/PC)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री दिलीप शइकीया पीठासीन हुए।)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

1201 बजे

(इस समय श्री अभय कुमार सिन्हा, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, श्री राजेश रंजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर – 2, डॉ. जितेंद्र सिंह जी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) : माननीय सभापति महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत कर्मयोगी भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय सभापति महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 1 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 11 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.378(अ) में प्रकाशित हुए थे।

… (<u>व्यवधान</u>)

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1327(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार, मेसर्स माइनिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन, "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ.1328(अ) जो दिनांक 19 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स जियो मरीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन "श्रेणी 'क' अन्वेषण अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(तीन) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का.आ.1764(अ) जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों को अधिसूचित करने के दिशानिर्देशों के अनुसार मेसर्स हिंदमेटल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन "श्रेणी 'क' अन्वेषण

अभिकरण" के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(पांच) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 23 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.255(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 12 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.382(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) का.आ.2744(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.169(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ.2745(अ) जो दिनांक 19 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.284(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.3326(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.285(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.3327(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ.4038(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.486(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1806(अ) जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.4819(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) अपतट क्षेत्र परमाणु खनिज संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2025 जो दिनांक 14 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.468(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 14 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.311(अ) में प्रकाशित हुए थे।

… (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): With your permission, I rise to lay on the Table a copy of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.442€ in Gazette of India dated 3rd July, 2025 under sub-section (3) of Section 108B of the Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development, Act 1995.

… (*Interruptions*)

STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES AND SKILL DEVELOPMENT

7th to 10th Reports

1203 hours

SHRI BASAVARAJ BOMMAI (HAVERI): Sir, I rise to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development:-

(1) Seventh Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'The Employees State Insurance Corporation - Applicability and Benefits under ESI Scheme, Functioning of ESI Hospitals and Management of Corpus Fund' relating to the Ministry of Labour and Employment.

(2) Eighth Report on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifty-third Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Development and Promotion of Jute Industry' relating to the Ministry of Textiles.

(3) Ninth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifty-sixth Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'Implementation of Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) Project' relating to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

(4) Tenth Report on Action taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Third Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

---

… (*Interruptions*)

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य – सभा पटल पर रखा गया

1204 बजे

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) : माननीय सभापति महोदय, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-2025) पर कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

MANIPUR BUDGET

1204 hours

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, with your permission, I rise to present a statement (Hindi and English versions) of estimated receipts and expenditure of the State of Manipur for the year 2025-26.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, प्लीज़, आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब सदन को चलने दीजिए। हर रोज आप लोग बैनर्स और पोस्टर्स लेकर आते हैं। यह उचित नहीं है। प्लीज़, आप लोग बैठिए और सदन को चलने दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : क्या आप लोग सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं? आप भारत की संसद को गरिमामंडित कीजिए। हर दिन इस तरह का व्यवहार सही नहीं है। अपोज़ीशन का जो कन्सट्रक्टिव रोल होता है, वह रोल आप लोग प्ले कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सदन को बार-बार बाधित करना उचित नहीं है। यदि आप लोग बार-बार सदन को ऐसे बाधित करेंगे, हर दिन बाधित करेंगे, तो अच्छा नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग सदन में अपने विषय रखिए, लेकिन सदन को बाधित करना सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आज पूरा देश दुखी है। सदन में आप सबके व्यवहार से आज देश दुखी है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please be seated. Please allow the Session to continue.

… (*Interruptions*)

(1205/UB/SPS)

माननीय सभापति (श्री दिलीप शइकीया) : वेणुगोपाल जी, आप इनको बैठाने की कोशिश कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप पहले इनको अपनी-अपनी सीटों पर बैठा दीजिए, बाद में बोलिएगा। आप अपने मेंबर्स को बैठा दीजिए।

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will allow you to speak.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप पहले सदस्यों को सीटों पर बैठा दीजिए, then I will allow you to speak.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: If you do not go back to your seat, I will not allow you.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I will not allow you to speak like this.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी सीटों पर बैठा दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसे सदन नहीं चलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

1207 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1400/RHL/NKL)

1400 बजे

लोक सभा चौदह बजे पुनः समवेत् हुई।

(श्रीमती संध्या राय पीठासीन हुईं।)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1400 बजे

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई है। माननीय सदस्यगण, आज जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है, वे तुरंत व्यक्तिगत रूप से मामले के अनुमोदित पाठ को सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

… (व्यवधान)

Re: Establishment of Proton Beam Therapy Unit at Chittaranjan National Cancer Institute in Kolkata

DR. JAYANTA KUMAR ROY (JALPAIGURI): I rise to bring to the urgent attention of the House the critical need for establishing a Proton Beam Therapy Unit at the Chittaranjan National Cancer Institute (CNCI), Kolkata. Proton Beam Therapy is a cutting-edge cancer treatment modality that offers significant advantages over conventional X-ray-based radiotherapy. Unlike photons, protons can be controlled to stop precisely at the tumor site, minimizing radiation exposure to surrounding healthy tissues. This makes it especially beneficial for pediatric cancers, brain tumors, and head-and-neck cancers—conditions where conventional therapy can cause serious collateral damage. Studies show that Proton Therapy reduces radiation to healthy tissues by up to 60% and lowers the risk of secondary cancers in children by up to 30%. International guidelines by ASTRO recommend its use in a wide range of cancers, including ocular, spinal, hepatocellular, and CNS tumors. Currently, Eastern India lacks a single Proton Therapy unit. Establishing such a facility at CNCI, will not only reduce the burden on existing centers in other parts of India but also make this technology accessible to lakhs of patients across Eastern and North-Eastern states. I urge the Hon'ble Minister of Health & Family Welfare and the Government to immediately take steps to establish a Proton Beam Therapy Unit at CNCI.

(ends)

Re: Need to include Bhojpuri language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक अत्यंत जनभावनाओं से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। भोजपुरी भाषा देश के करोड़ों नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली समृद्ध भाषा है, जो न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार, झारखंड के बड़े हिस्से में, बल्कि देश के बाहर भी, विशेषकर फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और नेपाल जैसे देशों में प्रवासी भारतीय समुदाय के बीच व्यापक रूप से प्रचलित है। यह हमारे देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और कई महान विभूतियों की भाषा भी रही है. इसके बावजूद भोजपुरी के साथ भेदभाव किया जा रहा है. भोजपुरी भाषा की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, साहित्यिक, और लोकपरंपराओं की विरासत है। भोजपुरी फिल्मों, गीतों, और लोककलाओं ने देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसके बावजूद अब तक इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, जो इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ न्याय नहीं है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाए, जिससे इस भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल सके और करोड़ों भोजपुरी भाषी नागरिकों की भावनाओं का सम्मान हो।

(इति)

Re: Need to confer Bharat Ratna on Bhikari Thakur, Bhojpuri language poet, folk artist and social activist

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : भोजपुरी भाषा एवं लोकसंस्कृति के अमर शिल्पी भिखारी ठाकुर जी ने अपने जीवन के माध्यम से समाज को जागरूक करने, जात-पात, नशा, दहेज और महिला शोषण जैसी कुरीतियों के विरुद्ध लोकनाट्य और गीतों के माध्यम से संघर्ष किया। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी रचनाएँ आज भी ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनी हुई हैं। “बिदेसिया”, “गबर घिचोर”, “नइहर के मालिनिया”, “बेटी बिचारा” जैसे उनके लोकनाट्य आज भी पूर्वांचल और भोजपुरी समाज के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक हैं। ऐसे महापुरुष को अब तक राष्ट्रीय स्तर पर वह सम्मान नहीं मिल पाया है, जिसके वे वास्तविक हकदार हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत "भारत रत्न" सम्मान प्रदान किया जाए, ताकि भारतीय लोकसंस्कृति को सम्मान और नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके।

(इति)

Re: Need to ensure equitable distribution of CSR Funds among aspirational and backward districts including Jhalawar and Baran in Rajasthan

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): I rise to highlight the pressing need to ensure equitable distribution of Corporate Social Responsibility (CSR) funds across India. Aspirational and underdeveloped districts such as Jhalawar and Baran often face chronic development gaps in healthcare, education, and skill development, despite having well-prepared proposals ready for execution. However, in the absence of a structured facilitation mechanism or matching platform, CSR inflows remain largely concentrated in metropolitan or Tier-I regions, leaving districts like Jhalawar and Baran underfunded and overlooked. I urge the Ministry of Corporate Affairs to consider publishing a list of priority districts including aspirational and backward regions and establish an online CSR exchange platform that matches corporate donors with vetted proposals from these districts. This would help democratise CSR allocation and promote inclusive regional development in alignment with the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas.

(ends)

Re: Need to provide stoppage to Hundry intercity Express at Malakpet railway station in Hyderabad

SHRIMATI D. K. ARUNA (MAHBUBNAGAR): I would like to bring to your kind notice regarding the need for a halt for the Hundry inter City Express train at Malakpet Railway Station in Hyderabad. In this connection, I am to state that the Hundry Inter City Express train (Train No. 17027/17028) currently runs every day from Secunderabad to Kurnool Town and vice-versa, but it does not have a scheduled stop at Malakpet Station. The local people of the Malakpet area and other passengers several times requested me that stopping the said train at Malakpet Station would be very much convenient for senior citizens, fruits and vegetable farmers. students, general passengers, private job holders, and businessmen from other districts also. Moreover, passengers also say that Malakpet Station is near to the Malakpet Metro Railway Station, the City RTC bus stop, and the MGBS district RTC Central bus station. Stopping the train at Malakpet Station would allow passengers to easily connect to other forms of transportation and reach various destinations in Hyderabad City to complete their work without any wastage of time and with less fares also. The local people also requested that the timing of the Hundry Inter City Express train at Kacheguda Railway Station be changed from 5:10 PM to 5:30 PM to avoid conflicts with the Chengalpattu Express train (Train No. 17652) which departs from Kacheguda Railway Station at 5:00 PM. Therefore, I request the Hon'ble Minister of Railways, to kindly intervene in the matter and take steps to provide a halt for the Hundry Inter City Express train at Malakapet Railway Station and also review the timing of the train at Kacheguda Railway Station.

(ends)

Re: Need to construct underpass on NH-53 (Hazira- Dhulia) in Bardoli Parliamentary Constituency

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) : मैं आज आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र बारडोली लोकसभा के दो महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे मतलब NH-48 और NH-53 के क्रॉसिंग जो कि पलसाना गाँव में मिलती है, के कारण वहाँ पर हो रही विकट यातायात समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की सत्याग्रह वाली पावन भूमि बारडोली लोकसभा के अन्तर्गत आने वाली दो महत्वपूर्ण हाईवे NH-48 (मुम्बई-दिल्ली हाईवे) और NH-53 (हजीरा-धुलिया हाईवे) जो पलसाना गाँव में मिलती है, के कारण वहाँ पर विकट यातायात समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हजीरा-धुलिया (NH-53) पर जनहित में अंडरपास बनाए जाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Need for legislation to provide employment to more number of local people in industrial establishments

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): I would like to request our honourable Minister of Labour and Employment to make strict rules that ensure the companies to hire people from the local districts rather than outside the District. Few companies have been there in my Parliamentary Constituency which have been hiring people from outside the Parliamentary Constituency ignoring the capability and intelligence of local people which leads to huge number of migration from my District resulting in hampering to the overall development of the area. It is one of the biggest problems that both districts of Kalahandi and Nuapada of my Parliamentary Constituency face. When new companies set up in our districts, local peoples use to aspire for employment opportunities but their hopes are shattered when outsiders get the jobs in their hometowns. So, request the Government to look into this and make stricter rules to give recruitment to the more number of local people in companies set up in Kalahandi Parliamentary Constituency, Odisha.

(ends)

Re: Need to widen the service road beneath the Vasad bridge in Anand district, Gujarat

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) : निर्वाचन क्षेत्र आनंद जिले में वर्तमान समय में गंभीरा ब्रिज टूटने के कारणवश भारी वाहनों के यातायात प्रतिबंध के कारण सभी बड़े एवं भारी वाहन बड़ौदा जाने के लिए वासद मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। इस स्थिति के कारण NHAI के अधीन विभाग द्वारा निर्मित वासद ओवर ब्रिज के नीचे सर्विस रोड से होकर वाहनों के गुजरने से वासद ब्रिज के नीचे अत्यधिक यातायात जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। इस यातायात समस्या के स्थायी निवारण हेतु निवेदन है कि ब्रिज के सर्विस रोड की वर्तमान उपलब्ध चौड़ाई 7 मीटर को बढ़ाकर 14 मीटर किया जाए, जिससे यातायात की समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही इस सड़क को RCC से निर्मित करने से बारिश के मौसम में रोड टूटने की समस्या का भी स्थायी समाधान हो सकता है। यह एक अत्यंत गंभीर एवं तत्काल ध्यान देने योग्य मुद्दा है जो स्थानीय जनता की दैनिक परेशानी का कारण बन रहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए त्वरित उचित कार्यवाही करने की यथाशीघ्र कृपा करें।

(इति)

Re: Railway related issues of Bharuch Parliamentary Constituency

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में स्थित दाहेज के रूप में देश की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर PCPIR (पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल इंवेस्टमेंट रीजन) का विस्तार हो रहा है। यहाँ पर एक ही जिले के अंतर्गत नौ इंडस्ट्रियल एरिया एवं तकरीबन 20 हजार की संख्या में लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एवं स्मॉल स्केल की औद्योगिक इकाइयां स्थित है जिनमें बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रांतों से कर्मचारी एवं मजदूर तथा व्यवसायी काम के लिए विभिन्न स्थानों से आकर भरुच में निवास करते हैं। इन सभी लोगों का ज्यादातर आवागमन रेलवे के माध्यम से ही होता है और भरूच रेलवे स्टेशन से विशेषकर होता है। इन परिवारों के वृद्ध एवं बीमार जन भी रेल से ही आवागमन करते हैं। लेकिन इन स्टेशनों पर कोई एस्केलेटर और लिफ्ट मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वृद्ध एवं बीमार लोगों को काफी कठिनाई होती है। भरूच रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस (मुंबई सैन्ट्रल – गांधी नगर) (ट्रेन नंबर 20901/20902) को स्टॉपेज देने से भी यात्रियों को सुविधा रहेगी। इसके साथ ही सरकार से मेरा आग्रह है कि भरूच से औद्योगिक शहर दाहेज तक पहले से मौजूद रेलवे लाइन पर फिर से ट्रेनों के संचालन हेतु आदेश देने में सहयोग प्रदान करें।

(इति)

Re: Need to introduce Metro Rail Service in Jabalpur City, Madhya Pradesh

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : जबलपुर शहर में मेट्रो रेल की महती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जनहित में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि जबलपुर में मेट्रो रेल सेवा प्रारम्भ करने की कृपा करें। शहरों में जनजीवन को सुचारू रूप से चलाने, बढ़ते सड़क यातायात के दबाव को कम करने के लिए, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, जनता की सुविधा एवं विद्यार्थियों विशेषकर छात्राओं एवं महिलाओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लगातार बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जबलपुर में मेट्रो रेल की महती आवश्यकता है। जिससे कि शहर से निकटवर्ती शाहपुरा, भेडाघाट, कटंगी, पाटन, जबलपुर एअरपोर्ट आदि जुड़ सकेंगे। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है, कि जबलपुर में आवश्यक सर्वेक्षण करवाते हुए, अविलम्ब मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ करने का अनुमोदन करने की कृपा करें।

(इति)

Re: Need to accelerate the pace of work on Chirmiri Railway Line Project in Jharkhand

श्री काली चरण सिंह (चतरा) : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र चतरा (झारखंड) अंतर्गत चिरमिरी रेल लाइन परियोजना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यह परियोजना न केवल झारखंड, बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों के कई पिछड़े क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रेल लाइन के कार्यान्वयन से क्षेत्रीय संपर्कता बढ़ेगी, परिवहन लागत में कमी आएगी, और इन राज्यों के आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक विकास को नया आयाम मिलेगा। विशेष रूप से रेल लाइन के शुरू होने पर झारखंड से महाराष्ट्र की दूरी लगभग 400 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। इस विषय पर मेरी माननीय रेल मंत्री से पूर्व में चर्चा भी हुई थी और उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया था कि मंत्रालय इस दिशा में आवश्यक पहल करेगा। किंतु खेद का विषय है कि अब तक इस परियोजना की प्रगति अथवा वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि चिरमिरी रेल लाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति की शीघ्र समीक्षा कर इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाए, जिससे संबंधित क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके।

(इति)

Re: Production of coal from Parbatpur coal block in Bokaro district, Jharkhand

श्री दुलू महतो (धनबाद) : मैं माननीय कोयला मंत्री जी का ध्यान बोकारो जिले के पर्वतपुर कोल ब्लॉक की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह ब्लॉक क्षेत्रीय रोजगार और औद्योगिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी आवश्यक राजकीय स्वीकृति के अभाव में निष्क्रिय है। पूर्व में यहाँ कार्यरत 500 से अधिक श्रमिक वर्तमान में बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। उत्पादन शुरू होने से इन श्रमिकों को पुनः आजीविका मिलेगी और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अत: अनुरोध है कि झारखंड सरकार के साथ समन्वय कर आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा कराया जाए, जिससे कोल उत्पादन आरंभ हो सके और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। आपकी पहल से न केवल स्थानीय जनता को राहत मिलेगी, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा संसाधनों का भी प्रभावी दोहन संभव हो सकेगा। कृपया इस दिशा में शीघ्र आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

(इति)

Re: Need to reclassify the districts in Dakshina Kannada and other Western Ghat districts of Karnataka as hilly terrain and accordingly relax the norms under PMGSY-IV for road connectivity therein

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): I wish to raise the issue of implementation challenges under PMGSY-IV in Dakshina Kannada and other Western Ghat districts of Karnataka. PMGSY has significantly improved rural connectivity across the country under the leadership of Prime Minister. Thousands of habitations have benefitted through Phases I, II, and III. The rollout of Phase IV with a focus on last-mile and climate-resilient roads is timely and welcome. However, in districts like Dakshina Kannada, the ground reality differs from MIS data. Many habitations marked as “connected” still lack all-weather, motorable access due to the hilly, forested terrain. These districts are incorrectly classified as “plain,” despite high rainfall and frequent landslides. Further, the population thresholds exclude small but permanently inhabited clusters that are more than 1.5 km by footpath from a road. I request the Hon’ble Minister of Rural Development to consider reclassifying these districts as “hilly terrain,” allow ground verification of connectivity, and relax population norms for scattered habitations.

(ends)

Re: Need for comprehensive urban reform policy to ensure sustainable and inclusive development in towns and cities of the country

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): I wish to raise a serious concern regarding the rapid but unregulated urbanisation in India leading to a virtual collapse of urban planning and infrastructure in several cities and towns. There is a disturbing trend of haphazard construction of houses, especially along roadsides, without any adherence to town planning norms. There is little coordination among authorities, resulting in scattered construction, encroachment on public land, traffic chaos, and poor civic amenities. Urban projects are often sanctioned without adequate planning, environmental assessment, or infrastructure capacity. Municipal bodies are either under-resourced or negligent in enforcing building codes, zoning regulations, and master plans. This has led to unliveable urban spaces with waterlogging, waste mismanagement, and pollution. I urge the Government to address this serious issue through a comprehensive national urban reform policy that enforces planning norms, and ensures sustainable and inclusive urban development.

(ends)

Re: Need to provide adequate funds for implementation of Jal Jeevan Scheme in Amravati district, Maharashtra

श्री बलवंत बसवंत वानखडे (अमरावती) : "हर घर जल" का नारा देते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में जल जीवन मिशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य था – ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से शुद्ध और स्वच्छ पेयजल पहुँचाना। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 50-50 प्रतिशत भागीदारी तय की गई थी। प्रारंभ में इस मिशन को भरपूर निधि मिली, जिससे कार्यों को गति प्राप्त हुई। मेरे अमरावती जिले में कुल 666 पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिनमें से 558 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जिला परिषद के माध्यम से यह कार्य व्यापक स्तर पर चलाया गया। इस योजना के लिए 262 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2019 से कार्य की शुरुआत हुई और केंद्र व राज्य से नियमित रूप से निधि प्राप्त हो रही थी। लेकिन, पिछले लगभग एक वर्ष से केंद्र सरकार द्वारा निधि देना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे न केवल अमरावती बल्कि पूरे राज्य में जल जीवन मिशन की अधिकांश योजनाएं अधूरी और ठप्प पड़ी हैं। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अमरावती जिले में जलजीवन मिशन के तहत स्वीकृत पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

(इति)

Re: Need to ensure the surveillance of communicable diseases in the country in view of the decision to do away with the National Polio Surveillance Network

SHRI KISHORI LAL (AMETHI): I would like to draw the attention of the Government regarding its decision to discontinue the nearly 28 year old "National Polio Surveillance Network (NPSN)". This network has played an important role in surveillance and immunization programmes of serious diseases like polio, measles, diphtheria, tetanus and whooping cough. During the Covid-19 the service of NPSN was remarkable. By considering the importance of the surveillance of the communicable diseases and steps to take precautionary measures, I request the Government to continue the NPSN to check the widespread of communicable diseases on the eve of the reported spreading of virus related diseases in the neighbouring countries. A large number of existing employees working under the NPSN are on the verge of losing their job and Government has no proposal to rehabilitate them in any other Government projects. The Government has to clear that which agency is responsible for the works done by NPSN and the details of the alternative steps taken to ensure the surveillance of the widespread communicable diseases across the country.

(ends)

Re: Need for reopening of Nehru Yuva Kendra at Thodupuzha in Idukki Parliamentary Constituency

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The new name “MY Bharat” where MY stands for “Mera Yuva” (My Youth) —has already been adopted on the websites and social media handles of the organisation’s regional units. The ‘MY BHARAT’ program is nothing, but a rebranded version of the popular Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) set up across India’s villages since 1972. This shows that the Government is replacing established institutions to erase the memory of one of the nation’s founding fathers. This is preventing the Kendra’s to continue their activities. In my Parliamentary Constituency, Idukki NYK Office had started during 1975 and has done tremendous activities for the benefit of the rural youth. At present this office has no employees and not opening regularly, Office function has fully disrupted. It is now closed. Hence I request the Hon’ble Minister for Youth Affairs and Sports to take steps to reopen the Nehru Yuva Kendra at Thodupuzha in Idukki Parliamentary Constituency. I request the Hon’ble Minister, that may the Nehru Yuva Kendra remain a beacon of unity, secularism, and inclusivity, as envisioned by Jawaharlal Nehru.

(ends)

Re: Alleged irregularities in recently conducted SSC examination

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान हालिया SSC परीक्षाओं में हुई भारी अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। देशभर से लाखों अभ्यर्थियों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया, लेकिन उन्हें गंभीर अव्यवस्था, असमानता और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। परीक्षा आयोजन में बार-बार देरी, उत्तर कुंजी में त्रुटियाँ, परिणामों में पारदर्शिता की कमी और छात्रों की शिकायतों की उपेक्षा—इन सभी कारणों से युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर से उठ रहा है। विशेष चिंता का विषय यह है कि कई अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर रात 10 बजे तक रोका गया, जो उनकी सुरक्षा, गरिमा और मानसिक स्थिति पर सीधा हमला है। इतना ही नहीं, जब अभ्यर्थियों व शिक्षकों ने इन मुद्दों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, तो उन पर पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की गई और उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। यह केवल परीक्षा की तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि युवाओं के आत्म-सम्मान और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अतः मेरी मांग है कि सरकार इस पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी जांच करवाए, निजी एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा करे, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे और भविष्य में पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक कदम उठाए।

(इति)

Re: Need to establish Indoor Stadium under 'Khelo India Programme' in Jhunjhunu Parliamentary Constituency

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुन्झुनू) : झुंझुनूं लोकसभा न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे देश में शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यहां के युवा प्रारंभ से ही अनुशासन, समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ शैक्षणिक एवं खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। विशेष रूप से झुंझुनूं लोकसभा के हजारों युवा हर वर्ष भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों में भर्ती होते हैं, जिससे यह जिला एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा का अग्रदूत बन चुका है। साथ ही, यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर जिले एवं राज्य का गौरव बढ़ाया है। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन आधुनिक खेल संरचना का अभाव है। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि युवाओं की इस महत्वपूर्ण मांग के लिए झुंझुनूं लोकसभा की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में "खेलो इंडिया" योजना के तहत आधुनिक इंडोर स्टेडियम की स्थापना की जाए।

(इति)

Re: Acquisition of land of farmers for widening of road in Chandauli district, Uttar Pradesh

श्री वीरेन्द्र सिंह (चन्दौली) : जनपद चंदौली के किसानों, गरीबों एवं भूमिहीनो के मकान एवं जमीन बिना उचित मुआवजा दिए उनका सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए एवं बिना उचित मुआवजा दिए तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के तहत 70% किसानो की सहमति के बिना उन्हें बेदखल न किया जाए। भारत माला परियोजना के अंतर्गत ग्राम सभा रेवसा के अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को बिना विस्थापित किए और बिना उचित मुआवजा दिए बेदखल न किया जाए ।

गंगा नदी के किनारे बनने वाले बंदरगाह के आस-पास मिल्कीपुर, तहीरपुर तथा पवित्र बौध विहार जमीनों से बिना उचित मुआवजा दिए एवं बिना विस्थापित किए उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है तथा विरोध करने पर उन पर एफआईआर भी की जा रही है, जिसे निरस्त करना आवश्यक है| साथ ही साथ वहाँ के गरीब बाँध, बियार, मल्लाह एवं अल्प संख्यक समाज के भूमिहीनों को विस्थापित करने के उपरान्त ही उचित मुआवजे के बाद उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए|

मुगलसराय-चकिया मार्ग के चौड़ीकरण पहले से बने गरीबों के कच्चे पक्के मकानों/दुकानों का बिना उचित मुआवजा दिए उन्हें बेदखल किया जा रहा है। इस पर रोक लगायी जाए और मुआवजा देकर ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाए।

(इति)

Re: Need to enact a new law for prevention of cruelty to Animals

श्री सनातन पांडेय (बलिया) : 19 जुलाई को जब पूरा राष्ट्र 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की अग्रदूत अमर शहीद मंगल पांडे को उनकी जन्म जयंती पर नमन कर रहा है, मंगल पांडे की एक हुंकार 'प्राणी की चर्बी नहीं छुएंगे' ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी, उनका यह बलिदान केवल एक सैनिक का विद्रोह नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा का प्रण था जो हर जीव में ईश्वर का रूप देखा था आज उसी भारत में करोड़ बेजुबान प्राणियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक और क्रांति की जरूरत है। हम भारत के जीव प्रेमी और जागरूक नागरिक एक भारी मन और एक जलती हुई आशा के साथ सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इस जीवन धन को बचाने के लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इन बेजुबानों की मूक सीखें हमारी अंतरात्मा पर एक बोझ है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पीसीए एक्ट 1960 का तत्काल amend किया जाए। यह एक सत्य है कि दया का कानून आज स्वयं दया मांग रहा है 1960 का यह कानून जिसमें क्रूरता के लिए मात्र ₹50 का जुर्माना है, आज एक क्रूर मजाक बन चुका है, यह कानून अपराधियों को दंडित नहीं बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करता है यह क्रूरता नहीं शैतानियत है, जिसे हमारा कानून मूक दर्शक बनकर देख रहा है। हमारे वेद, पुराण, कुरान और बाइबल हर धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि "अहिंसा परमो धर्म" और "सर्व जीवेषु दया", लेकिन यह कानून इन महान आदर्शों का प्रतिदिन अपमान करता है। प्राणियों को भोजन कराना पुण्य माना गया है, लेकिन जब तक उन्हें क्रूरता से बचाने वाला कोई सख्त कानून नहीं होगा, तब तक यह पुण्य अधूरा है। करुणा की स्थापना के लिए और इंसानों तथा जानवरों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए इस कानून को बदलना पशुधन हित में अति आवश्यक है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए नया कानून बनाकर पशुओं के जीवन की रक्षा करें-

1, पशुओं के रात्रि कालीन परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगे।

2, मांस और जीवित पशुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

3, शिक्षा प्रणाली में करुणा शिक्षा को अनिवार्य किया जाए।

4, पशु आश्रयो गौशालाओं और चरागाहों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

(इति)

Re: Need to address the human-elephant conflict in Junglemahal region of West Bengal

SHRIMATI JUNE MALIAH (MEDINIPUR): There has been an alarming rise in human-elephant conflict across the Junglemahal region of West Bengal, including the districts of Jhargram, Paschim Medinipur, Bankura, and Purulia. In recent months, several incidents have resulted in loss of human lives, destruction of homes and crops, and deep psychological distress among rural communities-many of whom belong to vulnerable and tribal populations. Despite ongoing efforts by local forest departments, the absence of a coordinated and sustainable strategy has worsened the crisis. The communities are living in fear and are rapidly losing their means of livelihood. I urge the Union Government, particularly the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to deploy central expert teams for assessment; release funds for conflict mitigation infrastructure; and formulate a comprehensive national policy that combines wildlife conservation with community protection and timely compensation. Immediate action is needed to protect both people and elephants in this ecologically sensitive region.

(ends)

Re: Alleged incidents of harassment meted out to civilians by BSF jawans in Shasthitala village of Mithipur Panchayat, Murshidabad, West Bengal

SHRI KHALILUR RAHAMAN (JANGIPUR): Recently, five BSF jawans of 115th Battalion entered the village of Shasthitala in Mithipur Panchayat of Murshidabad and brutally lathicharged about 50 innocent villagers. Among the injured are pregnant women and ordinary housewives. Locals allege that women were abused with foul language and physically assaulted. This does not end here. Fishermen are being prevented from fishing in the river, and farmers are being prevented from working in their fields by the BSF. They are being forcibly taken to camps and forced to work without pay, even opening shops or going out after evening has been declared illegal. In some other parts of the country, migrant Bengalis are being harassed and being called "non-Indians". At the border, the torture is being carried out by those who are supposed to provide security to people. I strongly demand that the Central Government to immediately form a high-level, impartial and independent investigation; and the culprits should be identified quickly and the strictest legal punishment should be ensured. And above all, the Home Minister should clarify his position in the wake of this incident. The people of West Bengal are the children of this country, the citizens of this country. Our Constitution dictates that they be treated equally, not with contempt or suspicion. This is what 21st-century India demands as well.

(ends)

Re: Need to provide status of national importance to Keeladi excavation site in Tamil Nadu

SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): I wish to bring to the attention of this august House a matter of deep concern of Tamil Nadu and to the cultural conscience of this nation, the "Keeladi" Archaeological Excavation, one of the most significant discoveries, in the history of Indian civilization. The excavations at Keeladi, near Sivaganga district in Tamil Nadu, have unearthed evidence that challenges the prevailing North-centric narrative of Indian history. The findings are ranging from Tamil Brahmi inscriptions, urban settlement planning. industrial craftsmanship and trade networks, which suggest a highly literate, urbanized civilization on the banks of river Vaigai dating back to at least the 6th century BCE. This pushes back the antiquity of Tamil civilization and its literary culture by several centuries. I wish to highlight that the way excavations in other parts of country receive ample funding, national visibility, and swift recognition, in the same way the Keeladi project should also be given importance along with adequate amount of funding. The early phase of excavations by the Tamil Nadu State Archaeology Department had to proceed despite lukewarm support from ASI. Even the recent proposals to declare Keeladi a site of national importance is delayed. I would like to state that language, culture, and history belongs to all and is not confined to any particular region. The Dravidian movement and people of Tamil Nadu have always stood for the preservation and assertion of Tamil identity, as an equal stakeholder in this diverse Union. Therefore, I, urge the Government of India to confer national importance status to the Keeladi site and ensure it is developed into a world-class archaeological and heritage complex; establish a dedicated cultural research centre at the site with international collaboration; and include Keeladi prominently in NCERT textbooks and public discourse, giving due place to the antiquity of Tamil civilization.

(ends)

Re: Need to expedite completion of Tindivanam- Tiruvannamalai broad gauge railway line Project in Tamil Nadu

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): I raise urgent matter of public importance for speeding up of Tindivanam - Tiruvannamalai new broad gauge railway line project work due to lower release of fund against total budgetary allocation for the project. Against the total budgetary allocation of Rs.42.7cr., total expenditure against total budget allocation is to the tune of Rs. 76.54 lakhs. The Project would enhance overall area development on account of potential for spiritual tourism as world famous Lord Annamalaiyar Shiva Temple in Tiruvannamalai attracts domestic as well as international tourists for Dharshan of Lord Shiva and Girivalam. The said project, commenced long back but unfortunately suffered from time-overrun due to lower budgetary release. I request the Government to release fund as per budgetary allocation to the project and approach all the agencies concerned with the project for expediting the project work for timely completion of Tindivanam - Tiruvannamalai new broad gauge railway line project. I fully believe that even the budgetary allocation for the project is insufficient that causes a limitation on creation of world class railway infrastructure at Tiruvannamalai. I earnestly request the Minister of Railways to take all necessary action to ensure completion of said project without further delay in public interest.

(ends)

Re: Enhancement in allocation of MPLADS Funds and exemption of MPLADS Projects from GST

SHRI G. LAKSHMINARAYANA (ANANTAPUR): I rise to highlight the need for urgent reforms in the Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS). The annual allocation under MPLADS has remained fixed at ₹5 crore per MP since 2011. In the last 14 years, inflation, rising construction costs, and growing community demands have significantly eroded the real value of this amount. A ₹5 crore allocation in 2011 would be equivalent to over ₹9 crore today, adjusted for inflation. In large rural constituencies like Anantapur, which face recurring droughts and deep developmental gaps, ₹5 crore is no longer sufficient to meet even basic demands for roads, drinking water tanks, digital classrooms, community halls. Moreover, levying of GST on MPLADS-funded works further reduces the effective budget available for public assets. MPLADS is a non-commercial, welfare-driven scheme, and taxing it contradicts its purpose. Other centrally funded welfare schemes enjoy GST exemption — MPLADS must be treated similarly. I therefore urge Hon'ble Finance Minister and Ministry of Statistics & Programme Implementation to enhance the MPLADS allocation to at least ₹10 crore; and exempt MPLADS projects from GST, to maximize public benefit. This step will directly strengthen grassroots development in backward regions like Rayalaseema.

(ends)

Re: Need to develop and modernize Thawe Junction Railway Station in Gopalganj, Bihar under Amrit Bharat Station Scheme

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज) : रेलवे स्टेशन लंबे समय से भारतीय कस्बों और शहरों की धड़कन रहे हैं। पूरे देश में अभी तक 1337 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। इसमें से एक थावे जंक्शन गोपालगंज को भी इस योजना के तहत शामिल करके विकसित किया जा रहा है। थावे स्टेशन को चरणबद्ध तरीके से बेहतर बनाने के लिए कुछ कामों को पूरा किया गया है लेकिन अभी भी बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूरे होने हैं। थावे जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए सिरे से प्लेटफार्म निर्माण और प्लेटफार्मों की संख्या अधिक किया जाना बाकी है। यात्रियों के लिए बेहतर लाउन्ज और संकेत-सूचना प्रणाली का अभाव है। सुंदर ढंग से अग्रभाग, सुंदर लैंड स्केप, सुंदर निकास द्वार, प्रतीक्षालय, शौचालय और स्टेशन के छत का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है। थावे जंक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का ठोस प्रयास भी अति आवश्यक है। रेल मंत्री जी से निवेदन है कि थावे जंक्शन को फाइनेंशियल स्वीकृति शीघ्र दी जाय ताकि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत अधूरे पड़े कार्यों, प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक करने का कार्य पूर्ण किया जा सके। इससे रेलवे को रेवेन्यू भी मिलेगा और यहाँ से दिल्ली एवं अन्य महानगरों के लिए ट्रेन की सुविधा भी मिलेगी।

(इति)

Re: Need to make CGHS Wellness Centres in Tirupati, Andhra Pradesh functional

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): I wish to raise the long-pending issue of the CGHS Wellness Center in Tirupati, which remains non-functional despite being announced over a year ago. This matter was raised earlier as well, but there has been no progress. The delay in staff approvals is causing serious hardship to Central Government employees, pensioners, and their families who lack access to healthcare. I urge the Government to operationalize the center immediately using existing staff or contract staff until regular appointments are made. Further, the proposed 100-bedded ESI hospitals at Sricity (Tirupati District) and Nellore are yet to be grounded. Construction has not commenced despite sanction. Also, ESI dispensaries at Satyavedu, Tirumala, Naidupeta, Varadaiahpalem (Tirupati District), and Muthukuru (Nellore District) remain non-operational, affecting thousands of workers.

I request the Hon'ble Minister to ensure these healthcare facilities are made functional without any further delay.

(ends)

Re: Minimum Support Price

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : ऐतिहासिक किसान आंदोलन और भारत सरकार तथा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के बीच हुए समझौते को तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। हालांकि, 09/12/2021 को SKM को भेजे गए पत्र में जिन मांगों पर केंद्र सरकार ने सहमति व्यक्त की थी, वे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। किसानों के आंदोलन के दबाव में ही सरकार को तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। इस संघर्ष में 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई, फिर भी सरकार ने अब तक उनके परिवारों को मुआवज़ा देने का कोई प्रयास नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने के लिए प्रस्तावित समिति के गठन की स्थिति क्या है? इस समिति के गठन और उसमें SKM को शामिल करने में अब तक देरी क्यों हो रही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह इस समिति का गठन कब करने जा रही है? इसी तरह, कृपया राज्यवार जानकारी दें कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, और किन राज्यों में अब भी ऐसे मामले लंबित हैं, जिनमें किसान आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ केस वापसी नहीं हुई है।

(इति)

Re: Railway services in Jharkhand

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (गिरिडीह) : धनबाद- रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, वनांचल एक्सप्रेस, रांची-गोड्डा एक्सप्रेस का ठहराव फूलवारी टांड स्टेशन में किया जाए । न्यू गिरिडीह से कोलकाता और पटना के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए। मुंबई - एल.टी.टी साप्ताहिक एक्सप्रेस का ठहराव पारसनाथ रेलवे स्टेशन में किया जाए। कोलकाता मदार एक्सप्रेस का ठहराव बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन में किया जाए। मेरे क्षेत्र से काफी संख्या में लोग अपना इलाज कराने और नौकरी के लिए लोग दक्षिण भारत की तरफ जाते है इसलिए चेन्नई और बैंग्लोर जाने के लिए भी धनबाद- गोमोह से एक नई ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता है। शक्तिपुंज एक्स्प्रेस का ठहराव भंडारीदाह रेलवे स्टेशन में किया जाए। हावड़ा-पटना वंदे भारत का ठहराव मधुपुर रेलवे स्टेशन में किया जाए और हावड़ा-गया वंदे भारत जो हावड़ा-धनबाद-कोडरमा-गया तक जाती है उसे सप्ताह में तीन दिन हावड़ा-मधुपुर-न्यू गिरिडीह-कोडरमा-गया होते हुए चलाया जाए। बोकारो से मायल(रामगढ़) तक रेल लाइन स्थापित कर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाए क्योंकि जरीडीह, पेटरवार, कसमार के लाखों लोग आज भी रेल सुविधा से वंचित है। पारसना-मधुबन-गिरिडीह रेल लाइन को जल्द पूरा किया जाए और कोडरमा-गिरिडीह-मधुपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य जल्द पूरा करने की आवश्यकता है।

(इति)

संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : सभापति महोदया, मुझे एक बात रखनी है। कई दिनों से विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बात स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं। …(व्यवधान)

1401 बजे

(इस समय श्री असित कुमार मल, डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए)

The Government has been very open to take up discussion on any matter. … (*Interruptions*) From time to time, the Government has been saying that we are ready to hold debate and discussion on any and every topic. … (*Interruptions*) However, any discussion in the Parliament has to be in accordance with the constitutional provisions and also in accordance with the rules, as prescribed in the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. … (*Interruptions*)

On the issue of Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, they have been disturbing the House from day one. … (*Interruptions*) We all know that the matter is under consideration of the hon. Supreme Court, and as such, it is *sub judice*. … (*Interruptions*) According to Rule 186 (viii), any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in the country. … (*Interruptions*) Besides, a Member of this House, as per Rule 352 (i), is not allowed to refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. … (*Interruptions*) The matter which the Opposition Parties are trying to raise is clearly *sub judice*, and therefore, discussion on this issue cannot be held in this House. … (*Interruptions*)

Chairperson Madam, I would also like to mention and submit that the issue relates to the functions and responsibilities entrusted to the Election Commission of India, which is an autonomous body. … (*Interruptions*) In the past, it has been clearly established in this House itself that matters falling under the domain of the Election Commission of India cannot be discussed in this House. … (*Interruptions*)

On 14th December 1988, when a Member tried to raise the issue pertaining to the functioning of the Election Commission of India, the then Lok Sabha Speaker, Shri Balram Jakhar ji, had given his ruling in the following words:

> "Mister, you know that I cannot comment upon the actions and decisions of the Election Commission, which is an autonomous body, nor can they do it. You have to change the constitution. I cannot allow. I cannot break the rules." … (*Interruptions*)

He further stated that under the existing constitutional provisions, the House cannot comment upon the actions of the Election Commission. … (*Interruptions*)

Chairperson Madam, moreover, Rule 352 (v) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha clearly states that it is not permitted to reflect upon the conduct of persons in high authority in general discussions. … (*Interruptions*) Therefore, the rules are very clear. … (*Interruptions*)

(1405/VR/KN)

The House cannot have a discussion on the working of an autonomous body like the Election Commission. *....(Interruptions)* I would like to ask this to the Opposition Members. *....(Interruptions)* Do you want to break the rules established by this House? *....(Interruptions)* Do you want to throw out the provisions of the Constitution of India? *....(Interruptions)* Do you follow the rules of this country? *....(Interruptions)* From day one, you are attempting to break the rules and the conventions established in this august House. *....(Interruptions)*

Madam, I would urge the hon. Members of the Opposition parties to please allow the functioning of the House. *....(Interruptions)* Let us discuss and debate. *....(Interruptions)* Do not disturb the Business of this House. *....(Interruptions)* We are sent to this House for discussion and debate. *....(Interruptions)* All the important issues of our country must be discussed. *....(Interruptions)* Please let the House function. Do not try to break the rules and conventions of this august House. *....(Interruptions)* Do not try to dismiss all the decisions taken by this august House in the past. *....(Interruptions)* We have to honour the former Speakers and Chairmen who have taken these decisions in this very august House. *....(Interruptions)*

Once again, I would like to request the Members of the Opposition parties not to disrupt the functioning of the House. *....(Interruptions)* We have important Bills to take up today. *....(Interruptions)* But on the special appeal of the Opposition parties, we are not pushing the National Sports Governance Bill. *....(Interruptions)* So, we are not pressing with the discussion and passing of this Bill, although it is listed in the Business. *....(Interruptions)* We will take it up later. *....(Interruptions)*

Madam, let the Bill related to the Ministry of Shipping and Ports be taken up, which is listed today, and let the House function. *....(Interruptions)* I would like to request the hon. Members of the Opposition parties not to disrupt the Business of the House. *....(Interruptions)*

MERCHANT SHIPPING BILL

1407 hours

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Hon. Chairperson, I beg to move:

> "That the Bill to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instruments to which India is a party and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI SANDHYA RAY): Motion moved:

> "That the Bill to consolidate and amend the law relating to merchant shipping to ensure compliance with India's obligation under the maritime treaties and international instruments to which India is a party and also to ensure the development of Indian shipping and efficient maintenance of Indian mercantile marine in a manner best suited to serve the national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Vijay Vasanth ji.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Brijesh Chowta ji

....(Interruptions)

1409 hours

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): Thank you, hon. Chairperson. I rise to express my strong support for the Merchant Shipping Bill 2024. *....(Interruptions)*

Madam, it is a landmark reform which is taken up by the Government led by hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. *....(Interruptions)* The Bill is going to modernise the maritime sector and propel us towards becoming a global shipping hub. *....(Interruptions)* It is unfortunate that the Opposition parties are not willing to debate such an important Bill, which is going to transform the shipping sector and going to create a lot of jobs in this sector. *....(Interruptions)*

Madam, I represent the Mangaluru constituency, a city that stands as one of India's prominent maritime gateways. *....(Interruptions)* I am grateful for the opportunity given to me to speak on this Bill whose provisions and impact are deeply intertwined with my constituency and the larger growth of the region. *....(Interruptions)* I would like to say that every drop of water you drink and every breath you take are connected to the sea. *....(Interruptions)* For centuries, the seas have been the arteries of trade and civilisations. *....(Interruptions)* The Bill is a visionary step in this direction and it will ensure safe, efficient and sustainable maritime operations for a rising India.

Madam, under the leadership of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji and the hon. Minister, Shri Sarbananda Sonowal ji, the Bill brings several key transformative measures.

(1410/PBT/ANK)

Firstly, it brings in a modernised legal framework. It replaces six-decade old law with a forward looking statute that aligns with global maritime standards and international conventions. It encourages foreign investment. The new Bill proposes significant reforms. … (*Interruptions*) It also reduces the ownership threshold.

(ends)

माननीय सभापति : श्री बिभु प्रसाद तराई जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mukeshkumar Dalal ji.

… (*Interruptions*)

1411 hours

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): Amid all this destructive and negative behaviour in the Parliament, I have risen to support the Merchant Shipping Bill, 2024.

India has a long history as a seafaring nation, with a rich maritime tradition predating European powers. Indian ships once sailed widely, engaging in prosperous trade across Asia and the Middle East. However, under the British rule, the growth of India's indigenous shipping industry was stifled by laws favouring British shipping, which eventually led to the decline of Indian ships on the high seas. In the 19th century, the Indian merchant shipping law was weak and unclear.

After independence, the Merchant Shipping Act, 1958 was passed. Since the merchant shipping sector has undergone various changes over the years, the Merchant Shipping Act, 1958 has become a bulky and outdated piece of legislation. The Act currently consists of more than 500 sections. Under the maritime … (*Interruptions*)

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Now, hon. Minister.

… (*Interruptions*)

1412 hours

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Madam, I am thankful to Captain Brijesh Chowta ji and also M.K. Dalal ji for their kind extension of support to this Bill. I rise particularly to move this Merchant Shipping Bill today. It is a very, very advanced, progressive, and modern legislation, up-to-date with the international maritime conventions and consisting of all relevant incorporations from the global best practices of many maritime nations.

In continuation of the series of liberal reforms undertaken in the past 11 years by our Ministry under the dynamic leadership of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, which have led to increased growth and development for the maritime and shipping sector, we are endeavouring to undertake reforms of other major laws governing this sector. It is also a matter of great pride that under the leadership of hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has emerged as one of the largest suppliers of seafarers. The Merchant Shipping Act, 1958 presently governs merchant shipping in India and implements certain international maritime organisation conventions. However, the present Act is outdated since it does not provide for some of the critical obligations under the international conventions that have been adopted by India.

The Act is a bulky and fragmented legislation containing 561 sections as a result of various amendments carried out from time to time. The Act is no longer adequate to realise our developmental vision and address the contemporary challenges of the maritime sector.

Additionally, the 1958 Act prioritises regulation over enablement and, as a result, does not adequately represent the bankability of India as a maritime trade hub. Aligning the domestic law with international best practices and IMO convention, leads to predictability, and this alignment in turn enhances the country’s bankability as a maritime jurisdiction. Therefore, enablement of increasing India’s bankability in maritime sector is the core focus of the Bill.

Thank you, Madam.

(ends)

(1415/RAJ/SNT)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रश्न यह है :

"कि समुद्री संधियों और अंतरराष्ट्रीय लिखतों, जिनमें भारत एक पक्षकार है, के अधीन भारत की बाध्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित की सर्वोत्तम उपयुक्त रीति में पूर्ति के लिए भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के दक्ष अनुरक्षण तथा भारतीय पोत परिवहन के विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए वाणिज्य पोत परिवहन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 3

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 4

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री डी. एम. कथीर आनंद जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अभय कुमार सिन्हा जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अभय कुमार सिन्हा जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री के. राधाकृष्णन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 5

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 6

माननीय सभापति: श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 7

माननीय सभापति: श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 9

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 11

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री के. राधाकृष्णन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

खंड 15

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 3.

Amendment made:

Page 12, line 34,-

for "Central Armed"

substitute "Central Armed Police". (3)

(Shri Sarbananda Sonowal)

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 और 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

खंड 18

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 और 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

(1420/NK/VPN)

खंड 21

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : श्री के. राधाकृष्णन जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

…(<u>व्यवधान</u>)

खंड 28

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 29 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

…(<u>व्यवधान</u>)

खंड 45

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 45 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 46 से 94 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

…(<u>व्यवधान</u>)

खंड 95

माननीय सभापति : श्री अभय कुमार सिन्हा जी।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 95 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 95 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 96 से 262 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

…(<u>व्यवधान</u>)

खंड 263

माननीय सभापति : श्री डी. एम. कथीर आनंद जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री अभय कुमार सिन्हा जी।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 263 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 263 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 264 से 323 विधेयक में जोड़ दिए गए।

…(व्यवधान)

खंड 324

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 324 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 324 विधेयक में जोड़ दिया गया।

…(व्यवधान)

खंड 325

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 118, line 32,-

for "2024"

substitute "2025". (4)

(Shri Sarbananda Sonowal)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 325, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 325, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

खंड 1

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 5,-

for "2024"

substitute "2025". (2)

(Shri Sarbananda Sonowal)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

अधिनियमन सूत्र

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Seventy-fifth"

substitute "Seventy-sixth". (1)

(Shri Sarbananda Sonowal)

(1425/IND/AK)

माननीय सभापति (श्रीमती संध्या राय) : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए।

… (व्यवधान)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Madam, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 07 अगस्त, 2025 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1426 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 07 अगस्त 2025 / 16 श्रावण 1947 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।